

राजस्थान सरकार
निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण,
विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर (राजस्थान) 302005
ईमेल - dir-pen-rj@nic.in दूरभाष नं. 0141-2740538, 2741687
वेबसाइट :- rajpension.nic.in, pension.raj.nic.in

क्रमांक :- प.05(324)निपेवि/नियम/2023/पार्ट 04/963-11

दिनांक :- 20/05/25

समस्त अतिरिक्त निदेशक,
पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग,
क्षेत्रीय कार्यालय

विषय :- वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ12(3)वित्त/नियम/2023 दिनांक 20.09.2024 के संबंध में सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी या उसके पति/पत्नी द्वारा आवेदन का प्रारूप के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वित्त (पेंशन) विभाग के पत्र क्रमांक एफ12(3)वित्त/नियम/2023 दिनांक 20.09.2024 के क्रम में सरकारी कर्मचारी/पेंशनर पारिवारिक पेंशनर द्वारा विशेष योग्यजन पुत्र/पुत्री का नाम पी.पी.ओ में जुड़वाने हेतु वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :- प्रारूप

भवदीय

(डॉ. देवराज)
निदेशक

वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ12(3)वित्त/नियम/2023 दिनांक 20.09.2024 के अनुसार पेंशन भुगतान आदेश में पारिवारिक पेंशनर के स्थायी रूप से विशेष योग्यजन बच्चे/आश्रित माता-पिता/स्थायी रूप से विशेष योग्यजन सहोदर के नामों को सम्मिलित करने/सह-प्राधिकृत करने के लिए सरकारी कर्मचारी/पेंशनर या उसके पति/पत्नी द्वारा आवेदन

सह- प्राधिकृत
किए जाने वाले
परिवार के
सदस्य (सदस्यों)
का फोटोग्राफ

1. सरकारी कर्मचारी/पेंशनर का विवरण :

नाम		कार्यालय/विभाग		राष्ट्रीयता	
सेवानिवृत्ति की तारीख (दिन/मास/वर्ष)		मृत्यु की तारीख (दिन/मास/वर्ष)		पी.पी.ओ सं. (यदि जारी किया गया है)	

2. पारिवारिक पेंशनर का विवरण :

नाम		मृत सरकारी कर्मचारी/पेंशनर के साथ संबंध		पी.पी.ओ संख्या	
-----	--	---	--	----------------	--

3. परिवार पेंशन के लिए सह-प्राधिकृत किए जाने वाले परिवार के सदस्य अर्थात् स्थायी रूप से विशेष योग्यजन बच्चे/आश्रित माता-पिता/स्थायी रूप से विशेष योग्यजन सहोदर का विवरण :

नाम		जन्मतिथि (दिन/मास/वर्ष)		आधार सं. (स्वैच्छिक)	
पैन		मृत सरकारी कर्मचारी के साथ संबंध		पहचान के व्यक्तिगत निशान	
हस्ताक्षर/बाएं हाथ के अंगूठे की छाप		क्या कोई अन्य पेंशन/परिवार पेंशन प्राप्त कर रहा है। यदि हां, तो जहां से आहरित किया जा रहा है उसका ब्योरा और स्त्रोत			

4. परिवार पेंशन के लिए सह-प्राधिकृत किए जाने वाले परिवार के सदस्य का डाक पता :

फ्लैट/मकान सं. /विलिडिंग का नाम		गली/मोहल्ला	
ग्राम एवं डाकघर/ब्लॉक		शहर एवं जिला	
राज्य		पिन कोड	
दूरभाष/मोबाइल सं.		ई-मेल आई डी	

5. यदि सह-प्राधिकृत किए जाने वाला परिवार का सदस्य अवयस्क है या मानसिक मंदता सहित मानसिक विकार या निःशक्तता से ग्रस्त है, तो संरक्षक/नामनिर्देशिनी का ब्योरा, जहां भी लागू हो :

नाम		जन्मतिथि (दिन/मास/वर्ष)		आधार सं. (स्वैच्छिक)	
पैन			अवयस्क/मानसिक रूप से निःशक्त कुटुंब के सदस्य के साथ नातेदारी		
सरकारी कर्मचारी/पेंशनर के साथ संबंध					

संरक्षक/नामनिर्देशित का डाक पता :

प्लैट/मकान सं. /बिल्डिंग का नाम		गली/मोहल्ला	
ग्राम एवं डाकघर/ब्लॉक		शहर एवं जिला	
राज्य		पिन कोड	
दूरभाष/मोबाइल सं.		ई-मेल आई डी	

6. सह-प्राधिकृत होने वाले परिवार के सदस्य के बैंक खाते का विवरण (वैकल्पिक) :

बैंक खाते का विवरण (वैकल्पिक)		बैंक का नाम और शाखा	
आई.एफ.एस कोड			

सरकारी कर्मचारी/पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर के हस्ताक्षर/बाएं हाथ के अंगूठे की छाप
पता

मोबाइल/दूरभाष सं.

टिप्पणी :— (i) स्थायी रूप से विशेषयोग्यजन बच्चे/बच्चों/सहोदरों और/या आश्रित माता-पिता का नाम पीपीओ में तभी जोड़ा जाएगा जब परिवार पेंशन के लिए कोई अन्य पात्र पूर्व दावेदार न हो।

(ii) यदि परिवार का कोई अन्य सदस्य परिवार के सह-प्राधिकृत सदस्य से पूर्व परिवार पेंशन पाने का हकदार हो जाता है तो सह-प्राधिकृत अमान्य हो जाएगा।

परिवार पेंशन के लिए सह-प्राधिकृत किए जाने वाले परिवार के प्रस्तावित प्रत्येक सदस्य के संबंध में प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची।

1. दो नमूना हस्ताक्षर (एक अलग शीट में प्रस्तुत किए जाएं)। यदि परिवार का सदस्य अपना हस्ताक्षर नहीं कर सकता है, तो उसे नमूना हस्ताक्षर के बदले दस्तावेज पर अपने बाएं/दाएं अंगूठे आदि का निशान लगाना होगा।
2. पहचान का प्रमाण।
3. मृत सरकारी कर्मचारी/पेंशनर के साथ संबंध का प्रमाण।
4. परिवार के सदस्य की स्व-प्रमाणित पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स की दो प्रतियां।
5. जन्मतिथि दर्शाने वाला आयु-प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र नगरपालिका प्राधिकारियों या स्थानीय पंचायत से या किसी मान्यता प्राप्त स्कूल या केन्द्रीय/राज्य शिक्षा बोर्ड के प्रमुख से होना चाहिए।
6. संरक्षक के दो नमूना हस्ताक्षर (यदि परिवार का सदस्य अव्ययक है या मानसिक निःशक्तता से ग्रस्त है तो एक अलग शीट में प्रस्तुत किया जाए)
7. यदि संरक्षक अपना हस्ताक्षर नहीं कर सकता/सकती है तो उसे नमूना हस्ताक्षर के बदले दस्तावेज पर अपने बाएं/दाएं अंगूठे आदि का निशान लगाना होगा।
8. स्थायी पते के प्रमाण के साथ संरक्षक के फोटो आईडी प्रमाण की एक प्रति।
9. संरक्षक/नाम निर्देशित के पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ्स की दो स्व-प्रमाणित प्रतियां।
10. परिवार पेंशन के दावे के समर्थन में आय के संबंध में अंतिम आयकर रिटर्न, जिसके न होने पर एसडीएम से प्रमाण पत्र/राज्य सरकार द्वारा आय प्रमाण पत्र के संबंध में निर्धारित घोषणा।
11. नाम और खाता संख्या को जिसमें परिवार पेंशन जमा की जानी है दर्शाने वाली पास बुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति। (प्रारूप में और बैंक खाते में दावेदार का नाम एक जैसा होना चाहिए)